रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20082025-265534
CG-DL-W-20082025-265534

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 3—अगस्त 9, 2025, शनिवार/ श्रावण 12—श्रावण 18, 1947

No. 27] NEW DELHI, AUGUST 3— AUGUST 9, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 12— SHRAVANA 18, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 120.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक(आयुध), ज्येष्ठ क्षेत्र अधिकारी(आयुध) तथा क्षेत्र अधिकारी (आयुध) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' और समूह 'ख' पद (गैर-लड़ाकू) आयुध काडर भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5 . आरंभिक गठन -.(1) इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे कार्मिक जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पहले नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रारंभ, ठीक पहले उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्मिक की नियमित निरन्तर सेवा की संगणना अपनी-अपनी श्रेणियों में परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि के लिए अर्हक सेवा और सेवा में पेंशन के प्रयोजनन के लिए की जाएगी।

6. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंघ में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडें वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक निदेशक (आयुध)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रू. 67700-208700)।

चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा।-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस या सशस्त्र सीमा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी,– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की नियमित सेवा हो; या (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो,– (i) अभ्यर्थी को लघु शस्त्र इंजीनियरिंग, आयुध एवं गोला-बारूद प्रौद्योगिकी, और सामग्री प्रबंधन अधिकारी पाठ्यक्रम में योग्यता प्राप्त होनी चाहिए; और (ii) छोटे हथियारों की मरम्मत और रखरखाव की सजा, गोला-बारूद की शस्त्रीकरण और तकनीकी गतिविधियाँ, तोड़फोड़ या जलाना या तोड़-फोड़, निरीक्षण कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक निदेशक (आयुध)।	03* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रू. 56100-177500)।

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस या सशस्त्र सीमा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी,– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (रु. 53100-167800) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष की नियमित सेवा हो; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 4 वर्ष की नियमित सेवा हो; या (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो,– (i) अभ्यर्थी को लघु शस्त्र इंजीनियरिंग और गोला-बारूद प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में योग्यता प्राप्त होनी चाहिए; और (ii) छोटे हथियारों की मरम्मत और रखरखाव की सजा, गोला-बारूद की शस्त्रीकरण और तकनीकी गतिविधियाँ, तोड़फोड़ या जलाना या तोड़-फोड़, निरीक्षण कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस

नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. क्षेत्र अधिकारी (आयुध)।	05* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय।	स्तर-8 वेतन मैट्रिक्स में (रू. 47600-151100)।

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस या सशस्त्र सीमा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी,– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष की नियमित सेवा हो; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की नियमित सेवा हो; या (ख) लघु शस्त्र या आयुध इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में योग्यता प्राप्त; और (ग) मरम्मत-1, मरम्मत-2 और मरम्मत-4 श्रेणियों में डाउनग्रेड किए गए छोटे हथियारों की मरम्मत और रखरखाव में दो साल का अनुभव, गोला-बारूद और विस्फोटक भंडार का निरीक्षण और अनुपयोगी गोला-बारूद और विस्फोटक भंडार का निपटान।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 17/17/एस.एस.बी/सीएससी/श्रेत्र/ समूह 'क' और 'ख'/2017/एसएफएस]

जूही वर्मा, निदेशक (कार्मिक-समन्वय)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th August, 2025

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director (Armament), Senior Field Officer (Armament) and Field Officer (Armament) in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and Commencement**. –(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Group 'A' and Group 'B' posts (Non-Combatised) Armament Cadre, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**. – These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix**. – The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc**.– The method of recruitment to said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial constitution**.– (1) The incumbents holding the posts specified in the Schedule annexed herein, immediately before the commencement of these rules on the regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of the incumbents referred to in sub-rule (1) in the respective grades immediately before commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service, etc.

6. **Disqualification**. – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving**. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Assistant Director (Armament).	01*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territories Police or Central Armed Police Force including Sashastra Seema Bal or Defence Public Sector Undertakings,– (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely :- (i) the candidate shall be qualified in Small Arms Engineering, Armament and Ammunition Technology, and Material management officer course; and (ii) ten years experience of carrying out Inspection, sentencing repair and maintenance of Small Arms or Armament and Technical activities of Ammunition, that is, Demolition or Burning or Break-down. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. Senior Field Officer (Armament).	03*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not-applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or Defence Public Sector Undertakings or Central Armed Police Forces or State Police or Union territories Police,– (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800); or (iii) with four years service rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) the candidate shall be qualified in small Arms Engineering and Ammunition Technology Course; and (ii) five years experience of carrying out Inspection, sentencing repair and maintenance of Small Arms or Armament and Technical activities of Ammunition, that is, Demolition or Burning or Break-down. Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
3. Field Officer (Armament).	05*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)
Deputation (including short- term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territories Police or Central Armed Police Force including Sashastra Seema Bal or Defence Public Sector Undertakings,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400); or
(iii) with six years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) ;

(b) qualified in Small Arms or Armament Engineering course; and

(c) two years experience in repair and maintenance of Small Arms downgraded in Repair-1, Repair-2 and Repair-4 categories, Inspection of Ammunition and Explosive stores and Disposal of un-serviceable Ammunition and Explosive Stores.

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.17/17/SSB/CSC/Area/Gp.‘A’&‘B’/2017/SFS]

JUHI VERMA, Director (Pers & Coord)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2018, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2018, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम (ग्रुप-सी), 2020, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, (ग्रुप 'सी' पद) भर्ती नियम, 2021, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, में बहु- कार्य कर्मचारी पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, दिल्ली (बहु-कार्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

   (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार

को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य-कर्मचारी	574 *(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल -308 डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - 71 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - 98 कलावती सरन बाल अस्पताल - 84 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र - 13	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर- 1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	अठारह वर्ष से सताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) **टिप्पण** : कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु – सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण: परिवीक्षा को	सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** यदि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में चयन प्रक्रिया से किसी भी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यक अनुभव से युक्त उस जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने कि संभावना नहीं हैं, तो अनुभव संबंधी अर्हताएं में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए लिखित रूप में कारण अभिलेखित कर शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।		सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें में निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11018/33/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 121.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2018, the Safdarjung Hospital, New Delhi, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2018, the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2019, the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children Hospital, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules (Group-C), 2020, the Rural Health Training Centre, New Delhi, Multi Tasking Staff, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in Central Government Hospital in Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Government Hospitals in Delhi (Multi Tasking Staff), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Multi-Tasking Staff	574 (2025) *Subject to variation dependent on workload. Safdarjung Hospital -308 Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - 71 Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital - 98 Kalawati Saran Children Hospital - 84 Rural Health Training Centre - 13	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for	10th class pass or equivalent from recognised Board/institute. **Note1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be

determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Chairperson; 2. Deputy Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Concerned), in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/33/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट, समूह क, भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट।	(01) * 2025 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

		टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में ऐसे भौतिक चिकित्साविद् जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संगत क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा यथाप्रायोजित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा अवधि आठ वर्ष बनी रहेगी, बशर्ते व्यक्ति अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर फीडर पद (फिजियोथेरेपिस्ट) पर कार्यरत हो। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना: (i) अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य -अध्यक्ष; (ii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य; (iii) उप महानिदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा माहनिदेशालय -सदस्य; (iv) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) की संरचना: (i) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष; (ii) उप महानिदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा माहनिदेशालय -सदस्य; (iii) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11018/23/2024-एमएच-।।]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital (Senior Physiotherapist) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Physiotherapist, in the Lady Hardinge Medical College - Kalawati Saran Children's Hospital New Delhi, under the Ministry of Health & Family Welfare namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Lady Hardinge Medical College-Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Physiotherapist	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

			Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By promotion.	Promotion: Physiotherapist in Lady Hardinge Medical College-Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade, and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of the post, as prescribed by the Ministry. **Note 1:** The eligibility service for promotion to the post of Senior Physiotherapist shall continue to be eight years for person holding the feeder post of physiotherapist on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : - (1) Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare - Member; (3) Deputy Director General (concerned), Directorate General of Health Services - Member; (4) Additional Medical Superintendent in-charge looking after the work of Physiotherapist, Kalawati Saran Children's Hospital - Member. Group 'A' departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare - Chairman; (2) Deputy Director General (concerned), Directorate General of Health Services - Member; (3) Additional Medical Superintendent in-charge looking after the work of Physiotherapist, Kalawati Saran Children's Hospital - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.11018/23/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के अधीन डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1)- इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य भौतिक चिकित्सक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
मुख्य भौतिक चिकित्सक	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200/- रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11-(67700-208700 रुपये) में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो, और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि और न्यूनतम पचास शैय्या वाले मान्यता प्राप्त अस्पताल में नैदानिक पद पर तीन वर्षों का प्रायोगिक अनुभव। **टिप्पणी 1:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में विभागीय मुख्य भौतिक चिकित्सक जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अनुभव पर भी विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है, यह प्रोन्नति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरा माना जाएगा । **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	ग्रुप 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. संबंधित अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. संबंधित विभागाअध्यक्ष, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/03/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the post of Chief Physiotherapist in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, in the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Chief Physiotherapist, (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Chief Physiotherapist.	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)/ Promotion-Composite Method.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or department; and (b) possessing a Master degree in Physiotherapy in any branch from a recognised university or institute with three years practical experience of holding clinical post in at least a fifty bedded recognised hospital. **Note 1:** The Departmental Deputy Chief Physiotherapist in level-11 in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion, otherwise, it will be treated as having been filled on deputation (including- short-term contract). **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall not be exceeding three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion) consisting of: 1. Additional Directorate General of Health Services (concerned) Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services -Member; 3. Head of Department (concerned), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/03/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, ज्येष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट (समूह ‘ख’ पद) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ नेत्रोपचार विशेषज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ नेत्रोपचार विशेषज्ञ (समूह ‘ख’ पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ नेत्रोपचार विशेषज्ञ	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये/-)	चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: नेत्रोपचार विशेषज्ञ, जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/-रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नेत्रोपचार विज्ञान में दो सप्ताह का प्रशिक्षण अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क)(i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii)ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में बारहवीं पास; (ii)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑप्टोमेट्री में (चार वर्ष की अवधि) की डिग्री; (iii) किसी सरकारी अस्पताल या रिसर्च संस्था में ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव। **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशाशन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/50/2021-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi Senior Optometrist (Group B Post) Recruitment, Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Optometrist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Optometrist, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

   or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Senior Optometrist.	*01 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	Promotion: Optometrist with five years of regular service in level-6 (Rs. 35400 - 112400) in the pay matrix and who have successfully completed two weeks training in Optometry from a recognised Institute or as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairperson; 2. Head of the Department (Concerned), Safdarjung Hospital -Member; 3. Deputy Director, (Concerned), in Directorate General of Health Services -Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organizations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutions: - a. (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: (i) 12th class pass in Science from a recognised Board; (ii) Degree in Optometry (four-year duration) from a recognised University or Institute; and (iii) Two years working experience in optometry from a recognised Government hospital or research institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	4. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	

			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/50/2021-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy..

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, बहुकार्यकर्मचारिवृंद, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड में बहुकार्यकर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, बहुकार्यकर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर-जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
1	2	3	4	5
बहुकार्यकर्मचारिवृंद	251* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह-'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी, या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन / द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियोंद्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
6	7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती/की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिआमेलन / किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' पद विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय भूजल बोर्ड - अध्यक्ष; (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 या उससे अधिक का केंद्रीय भूजल बोर्ड का एक अधिकारी - सदस्य; और (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 में केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसचिवीय काडर का एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-50013/268/2024-जी डब्ल्यू ई]

शालिनी गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources the Central Ground Water Board, Multi Tasking Staff, Group'C' Post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Central Ground Water Board, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, under the Ministry of Jal Shakti, namely:-

1. **Short title and commencement:–** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board**,** Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff	251* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servant up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty -five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). The crucial date for	Matriculation or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for the direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.				

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Post Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairperson; (ii) An Officer of the Central Ground Water Board in level 11 or above in the pay matrix - Member; and (iii) An Officer of Ministerial Cadre of Central Ground Water Board in level 8 or above in the pay matrix - Member.	Not applicable.

[F. No. A-50013/268/2024-GWE]

SHALINI GUPTA, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 126.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहां तक उनका संबंध उप-संपादक (साधारण और भाषा) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय और सूचना सहायक।	13 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 1. बंगाली-2 पद; 2. अंग्रेजी-5 पद; 3. हिंदी-3 पद; 4. मराठी-2 पद; और 5. तमिल-1 पद।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु0)।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष की आयु से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध भाषा में 10वीं पास; या (ii) मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध भाषा में 12वीं पास; टिप्पण : 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में भाषा की निश्चित अपेक्षा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी। (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; और (iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

						वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हो;

		(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह- 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता - अध्यक्ष; 2. पुस्तकालय विषय से संबंधित अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; 3. लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 13-5/2017- पुस्त.]

प्रियंका चंद्रा, निदेशक (पुस्त.)

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 5th August, 2025

G.S.R. 126.––In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Reference Library, Calcutta (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Sub-Editor (General and Languages), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Central Reference Library, Kolkata, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Culture, the Central Reference Library, Kolkata, Library and Information Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Library and Information Assistant.	13* (2024) *Subject to variation dependent on workload. 1. Bengali–02 posts; 2. English–05 posts; 3. Hindi – 03 posts; 4. Marathi–02 posts; and 5. Tamil–01 post.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not exceeding thirty years of age.	Essential: (i) 10th class pass in the concerned language from a recognised Board; or	Not applicable.

(Relaxable for the Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(ii) 12th class pass in the concerned language from a recognised Board; Note: The exact requirement of language at 10th class or 12th class shall be specified at the time of recruitment. (iii) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; and (iv) two years professional experience in a Library under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution. **Desirable:** Diploma in Computer Application from a recognised University or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Senior Library and Information Officer, Central Reference Library, Kolkata – Chairman; 2. Under Secretary, Ministry of Culture, dealing with the subject Library – Member; 3. Accounts-cum-Administrative Officer, Central Reference Library, Kolkata – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 13-5/2017-Lib]

PRIYANKA CHANDRA, Director (Lib.)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा महासागर विकास विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:- —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (स्टाफ कार ड्राइवर), समूग 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **अनुप्रयोग —** ये नियम संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद् अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता —** वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय पद्धति के अधीन अनुज्ञात है, तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखाबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी- I	1*(2023). *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (रुपये 29,200/- 92,300/-).	अचयन	लागू नहीं होता ।	**लागू नहीं** होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: (i) श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (रु. 25,500/- - 81,100/-) में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी- II); या (ii) स्टाफ कार ड्राइवर	**समूह 'ग' विभागीय** प्रोन्नति **समिति** (प्रोन्नति **पर विचार हेतु**) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - (1) उप सचिव (प्रशासन) या कार्यालय प्रमुख	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

		(श्रेणी- II) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में पंद्रह वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा के साथ; और (iii) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उतीर्ण किया हो।	- अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य; (3) अवर सचिव (अन्य मंत्रालय/ विभाग से) - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II.	1*(2023). *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (रुपये 25,500 – 81,100).	अचयन	लागू नहीं होता।	**लागू नहीं** होता ।	लागू नहीं होता ।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** (i) स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु 19,900/- - 63,200/-) पर, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में नौ वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ii) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप सचिव (प्रशासन) या कार्यालय प्रमुख - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य; (3) अवर सचिव (अन्य मंत्रालय / विभाग से) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)।	1*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु 19,900/- - 63,200/-).	लागू नहीं होता।	18-25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।	**आवश्यक:** (i) कारों के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति होना; (ii) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में छोटी-मोटी कमियों को	नहीं लागू।

					टिप्पणी 1:-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल तथा स्पिति जिला, तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला का पांगी उप-खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए होगी। **टिप्पण 2**:- यदि मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा द्वारा 'सीधी भर्ती की जानी होगी तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) कम से कम तीन वर्षों तक मोटर कार चलाने का अनुभव; तथा (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** (i) होम गार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा। **टिप्पण 1:** अनुभव संबंधी अर्हता, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है; **टिप्पण 2**:अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में, यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती या पुनः नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी: (i) जिन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (रु. 18,000/- – 56,900/-) में	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

		नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारी जिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने वाले ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कारों के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति है, जिसके न होने पर केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर कार्यरत कर्मचारी या वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 (रु. 18,000/- – 56,900/-) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने हैं और जिनके पास आवश्यक अनुभव और विहित अर्हताएं हैं और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा। जिस तारीख से उनहें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	(2) अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य; (3) अनुभाग अधिकारी (अन्य मंत्रालय/विभाग से) - सदस्य	

		प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतय: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक को '56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. A-12018/1/2023-ESTABLISHMENT/E-11305]

मीना गोपीनाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi, the 28th August, 2024

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Ocean Development (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Earth Sciences, namely : —

1. **Short title and commencement**. — (1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences (Staff Car Drivers), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. —** These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**. — The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification**. — No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1. Staff Car Driver Grade I.	1*(2023). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 29,200/- 92,300/-).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	By promotion.	Promotion: (iv) Staff Car Driver Grade II in level 4 (Rs. 25,500/- – 81,100/-) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; or (v) with a combined regular service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and (vi) have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Deputy Secretary (Admin) or Head of Office. -Chairman; (2) Under Secretary (Admin) - Member; (3) Under Secretary (from other Ministry/ Department) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
2. Staff Car Driver Grade II.	1*(2023). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' non-Gazetted, non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25,500 – 81,100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion.	Promotion : (iii) Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 (Rs. 19,900/- - 63,200/-) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade rendered after appointment on a regular basis.; and (iv) have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Deputy Secretary (Admin) or Head of Office. - Chairman; (2) Under Secretary (Admin) -Member; (3) Under Secretary (from other Ministry/Department) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	1*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' non-Gazetted, non-Ministerial	Level 2 (Rs19,900/- - 63,200/-).	Not applicable.	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep. **Note 2:-** If the 'direct recruitment is to be made by open competitive examination, the age limit would be 18-27 years.	**Essential:** (i) Possession of a valid driving licence for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in the vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Class 10^{th} pass from a recognised Board. **Desirable:** (i) Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of	Not applicable.

						selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation / absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation / Re-employment.	**Deputation / Absorption :** Officers of the Central Government or State Government / Union territories: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level- 1 (Rs. 18,000/- - 56,900/-) in the pay matrix in the Ministry of Earth Sciences who possess valid Driving Licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 (Rs. 18,000/- - 56,900/-) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government or State Government or Union territories who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re- employment.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Under Secretary (Admin) - Chairman; (2) Section Officer (Admin) - Member; (3) Section Officer (from other Ministry/Department) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		Note 1 :- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :-** The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/1/2023-ESTABLISHMENT/E-11305]

MEENA GOPINATH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.20 11:28:06 +05'30'